न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी: प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0---42/2016

प्रविष्टि दिनांक ---4.4.2016

उनवान

1. अनवर जहां पुत्री भुन्दु पत्नी नजर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा सोहराब खां की हवेली के पास टोंक
2. अफजल हुसैन पुत्र भुन्दु जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा सोहराब खां की हवेली के पास टोंक

वादीगण

बनाम

1. बुद्धि प्रकाश पुत्र भूरा जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र भूरा जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
3. प्रभूचन्द पुत्र भूरा जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
4. रामस्वरूप पुत्र भूरा जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
5. शांति पुत्री भूरा जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
6. रामप्रसाद पुत्र भवाना जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
7. बेनीप्रसाद पुत्र भवना जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
8. बनवारीलाल पुत्र भवाना जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
9. विजय पुत्र भवाना जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
10. आनंद पुत्र भवाना जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
11. प्रेमबाई पुत्री भवाना जाति बैरवा मोहल्ला जिन्सी टोंक
12. बादशाह खां पुत्र ईकबाल खां जाति मुसलमान निवासी चेतना बिल्डिंग के पास ताल कटोरा टोंक
13. वजीर खां पुत्र ईकबाल खां जाति मुसलमान निवासी चेतना बिल्डिंग के पास ताल कटोरा टोंक
14. ईस्लाम खां पुत्र ईकबाल खां जाति मुसलमान निवासी चेतना बिल्डिंग के पास ताल कटोरा टोंक
15. साहबजादी उर्फ मुन्नी पुत्री ईकबाल खां जाति मुसलमान निवासी देवली रोड टोंक
16. कनीजा उर्फ नेहा परवीन पुत्री ईकबाल खां निवासी हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक
17. नफीसा पुत्री ईकबाल खां जाति मुसलमान निवासी नजरबाग टोंक
18. मोहम्मद शाहिद पुत्र स्वालेह खां जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
19. मोहम्मद साजिद पुत्र स्वालेह खां जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
20. मोहम्मद आबिद पुत्र स्वालेह खां जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
21. जातवर सुल्ताना पुत्री स्वालेह खां जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
22. हबीबुन्निसा पत्नी मोहम्मद आरिफ जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
23. हैदर खान पुत्र मोहम्मद आरिफ जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
24. बिलाल खान पुत्र मोहम्मद आरिफ जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
25. निशाद पुत्री मोहम्मद आरिफ जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
26. अदीला खान पुत्री मोहम्मद आरिफ जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
27. सायना परवीन विधवा मोहम्मद आरिफ जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
28. नबीला पुत्री मोहम्मद आरिफ जाति मुसलमान निवासी गुलजार बाग टोंक
29. सलीम पुत्र जलालुदीन खां जाति मुसलमान निवासी गफूरपुरा कॉलोनी ताल कटोरा टोक
30. कमर पुत्र जलालुदीन खां जाति मुसलमान निवासी किले के पीछे महावीर नगर के पास टोंक
31. सबिया पुत्री जलालुदीन खां पत्नी कदीर, जाति मुसलमान निवासी गफूरपुरा कॉलोनी ताल कटोरा टोक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

32. मोजाला पुत्री जलालुदीन खां पत्नी शहजाद जाति मुसलमान निवासी जेल रोड टोंक
33. नाहिद पुत्री जलालुदीन खां पत्नी इस्लाम जाति मुसलमान निवासी गफूरपुरा कॉलोनी ताल कटोरा टोंक
34. रूबीना पुत्री जलालुदीन खां पत्नी ईकबाल खां जाति मुसलमान निवासी चेतना बिल्डिंग के पास ताल कटोरा टोंक
35. हाजी पुत्र काले खां जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला बहीर टोंक
36. तहसीलदार, टोंक

—प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री प्रदीप कुमार लोढा —वकील वादीगण
श्री महेश भारद्वाज—वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद पत्र बाबत—इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक—19/12/17

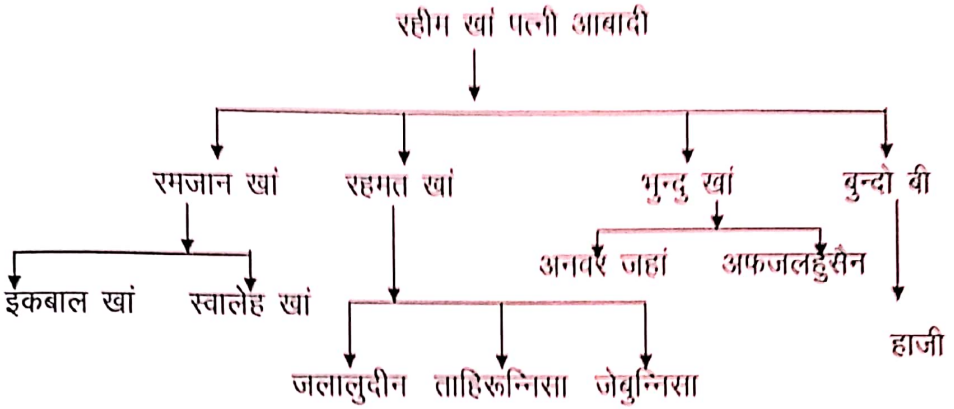

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अभिवक्ता वादीगण द्वारा एक वाद पत्र बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवाद सं0 12 ता 35 के पूर्वजो का शजरा निम्न प्रकार है:—

उक्त रहीम खां के परो बडे पुत्र रमजान खां थे उनके दो पुत्र हुए इकबाल व स्वाले खां जिनका देहान्त हो चुका है। और प्रतिवादीगण सं0 12 ता 17 ईकबाल खां के वारिस है एवं प्रतिवादीगण 18 ता 21 स्वालेह खां के वारिस है। स्वाहेला खां के पुत्र मो0 आरिफ भी था जिसका देहान्त हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं0 22 ता 20 है। रहीम खां के दूसरे पुत्र रहमत खां थे जिनके एक पुत्र जलालुदीन थे उनका भी देहान्त हो चुका है। जलालुदीन के वारिसान प्रतिवादी सं0 29 ता 34 है। रहीम खां के तीसरे पुत्र भुन्दु खां थे, उनके एक पुत्री अनवर जहां एवं एक पुत्र अफजल हुसैन हुए। दूसरी पुत्री बुन्दो बी जिसके एक पुत्र हाजी थे। प्रतिवादीगण सं0 12 ता 35 के पूर्वज रमजान खा रहमत खां भुन्दु खां बुन्दो बी एवं आबादी के कब्जेकाश्त की आराजी साबिक ख.न. 6020 रकवा 9 बीघा 14 बिस्वा, ख.न. 6024 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख.न. 6041 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 6043 रकवा 5 बीघा 9 बिस्वा, ग्राम मोजा कस्बा टोंक मे स्थित है उक्त भूमि के हाल खसरा नंवर 6517 रकवा 24 बीघा 7 बिस्वा , ख.न. 6537 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। साबिक ख.न. 6020 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा हाल ख.न. 6517 जरिये नामा0 सं0 437 दिनांक 31.10.1958 के द्वारा भूरा व भुवाना जाति बैरवा का नाम दर्ज कर रखा है। जबकि उक्त दोनो के नाम कोई विक्रय पत्र खातेदारो ने नही किया। भूरा व भुवाना की मृत्यु हो चुकी है और प्रतिवादीगण 1 ता 11 उनके वारिसान है। नामा0 सं0 437 गलत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरकरणो का नोटिस खातेदारो को नही दिया गया। जिस विक्रय पत्र का हवाला दिया गया है यह विक्रय पत्र पंजीयक कार्यालय मे रजिस्टर नही है। नामा0 के समय उक्त विक्रय पत्र पेश नही किया गया है मात्र वय लिखा गया है। उक्त भूमि मे प्रतिवादीगण का नाम राजस्व कर्मचारियो की भूल के कारण दर्ज हुआ है तथा नामा0 सं0 437 अवैध व प्रभाव शून्य है। उक्त भूमि मे वादीगण का

खण्ड अधिकारी टोंक (पश्चिम)

Scanned by CamScanner

1/4 हिस्सा है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावे। अतः चरण सं0 2, 3, 4 मे अंकित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण 1 ता 11 के हक मे गलत रूप से किये गये इन्द्राज को अवैध घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण 1 ता 11 का नाम हटाया जाकर वादीगण के खाते मे 1/4 भूमि का अंकन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाइ निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे किसी भी प्रकार से उक्त भूमि मे वादीगण के हिस्से मे मजाहमत नही करे भूमि का हस्तान्तरण नही करे।

इसके पश्चात वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद तामील के प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही हुआ।

अधिवक्ता वादीगण ने पी.डब्ल्यू–1 के रूप मे अफजल हुसैन पुत्र भुन्दु खां, पी. डब्ल्यू–2 कमसन हुसैप पुत्र नजर मोहम्मद के बयान करवाये जो शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी बन्दोबस्त हैदर साहब सन 1942 उर्दू, व हिन्दी अनुवाद प्रदर्श–1, नामा0 सं0 437 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2066–69 प्रदर्श–4, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2019–12 प्रदर्श–6 व 7, जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श–8, 9 आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। बन्दोबस्त सन 1942 मोजा कस्बा टोंक मे भूमि रमजान, रहमत रखा बुन्दु खां बुन्दो आबादी बेवा , रहीम खां के नाम दर्ज है। उक्त भूमि नामा0 सं0 437 से ख.न. 6020 भूरा व भुवाना के नाम दर्ज की गई है। यह नामा0 1958 मे स्वीकृत किया गया है जोकि सैटलमेन्ट से पूर्व का है। जमाबंदी संवत 2019–21 मे भी भूरा व भूवाना का नाम दर्ज है। यदि उक्त नामा0 त्रुटिपूर्ण था तो वादीगण ने तत्समय ही अपील क्यो प्रस्तुत नही की गई। अब इतने समय बाद नामा0 के अवैध होने का तथ्य मियाद बाहर है। पत्रावली पर सैटलमेन्ट के पश्चात की जमाबंदी संलग्न नही है। मिलान क्षेत्रफल से साबिक व हाल खसरा नंबर की पुष्टि होती है। वाद पत्र में अंकितानुसार अवैध विक्रय पत्र के संबधं मे वादीगण को सक्षम न्यायालय मे राहत प्राप्त करनी चाहिए थी। चूंकि उक्त तथाकथित गलत अंकन सैटलमेन्ट से पूर्व का है। सैटलमेन्ट से पूर्व ही उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी सं0 1 ता 11 के पूर्वजो के नाम दर्ज हो चुकी है। वाद पत्र के अनुसार सबिक ख.न. 6020, 6024, 6025, 6041, 6043 के हाल खसरा नंबर 6517 व 6537 बने है। इस भूमि के नामा0 सं0 437 के अनुसार रमजान खां, रहमान रखं व बुन्दु खां व आबादी बेवा के नाम दर्ज है। जिनमे से भुन्दु खां के वारिसान वादीगण द्वारा ही वाद पेश किया गया है। अन्य खातेदारो के वारिसान को प्रतिवादीगण के रूप मे प्रस्तुत किया है जिससे साबित होता है कि अन्य खातेदारो द्वारा उक्त विक्रय पत्र को स्वीकार किया है। ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि नामा0 सं. 437 को अवैध या त्रुटिपूर्ण होने संबंधी आपत्ति किसी भी खातेदार द्वारा दर्ज कराई हो साथ ही उक्त नामा0 के अवैध होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नही किये है। इसी प्रकार साबिक भूमि के अन्य हाल भूमि ख.न. 6537 वादीगण के नाम ही अंकित है। इस प्रकार यदि त्रुटिपूर्ण अंकन होता तो ख.न. 6537 वादीगण के नाम कैसे अंकित होती जिसमे वादीगण के नाम विरासत का नामा0 भी अंकित किया गया। चूंकि उक्त विवादित भूमि सैटलमेन्ट से पूर्व ही भूरा व भुवाना के नाम अंकित है। सैटलमेन्ट के दौरान खातेदारी अंकन के समय खातेदारो को नोटिस दिया जाता है तथा माकै पर काबिज एवं वस्तु स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर खातेदारो को सुनकर खातेदारी का अंकन किया जाता है। जहां तक विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का प्रश्न है तो संभव है चूंकि अंकन काफी साल पुराना है उस समय विक्रय की पक्रिया को रजिस्टर्ड करना व्यवहार मे नही था और नामा0 सं0 437 के कॉलम सं0 14 व्यय को संदेह की दृष्टि से नही देखा जा सकता है। क्योकि वादीगण द्वार भूमि पर कब्जा भी साबित नही किया गया जो उसके द्वारा वाद पत्र में अंकित किया है कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा है साथ ही उक्त भूमि मे प्रतिवादीगण का नाम राजस्व कर्मचारियो की भूल को किसी भी साक्ष्य दस्तावेज से साबित नही किया है और ना ही पत्रावली पर श्रृंखलाबद्ध जमाबंदी प्रस्तुत की है जिससे कि त्रुटि स्पष्ट हो सके। नामा0 सं0 437 के अवैध होने के प्रश्न को वादीगण द्वारा तत्समय ही अपील कर साबित करना चाहिए था। अब इतने लम्बे समय बाद वाद मियाद बाहर है। अतः वाद पत्र के तथ्य किसी भी प्रकार से साबित नही होने के कारण वाद स्वीकार योग्य नही है।

Scanned by CamScanner